मूल निवास के लिए आवेदन के लिए निर्देशिका(कियोस्क स्तर)

1. sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर लॉग इन करें|

2. e-Mitra New आईकान पर क्लिक करें|

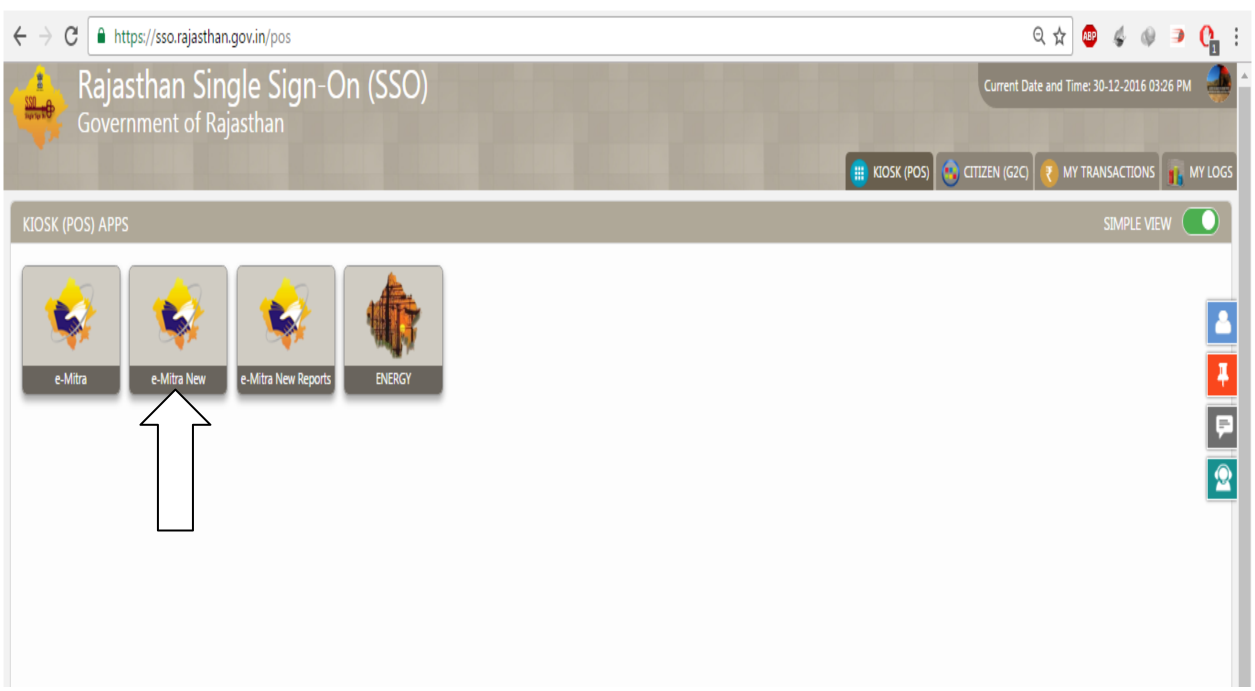

3. सर्विसेज आप्शन में जा कर लाभ सेवा अनुप्रयोग पर क्लिक करें|

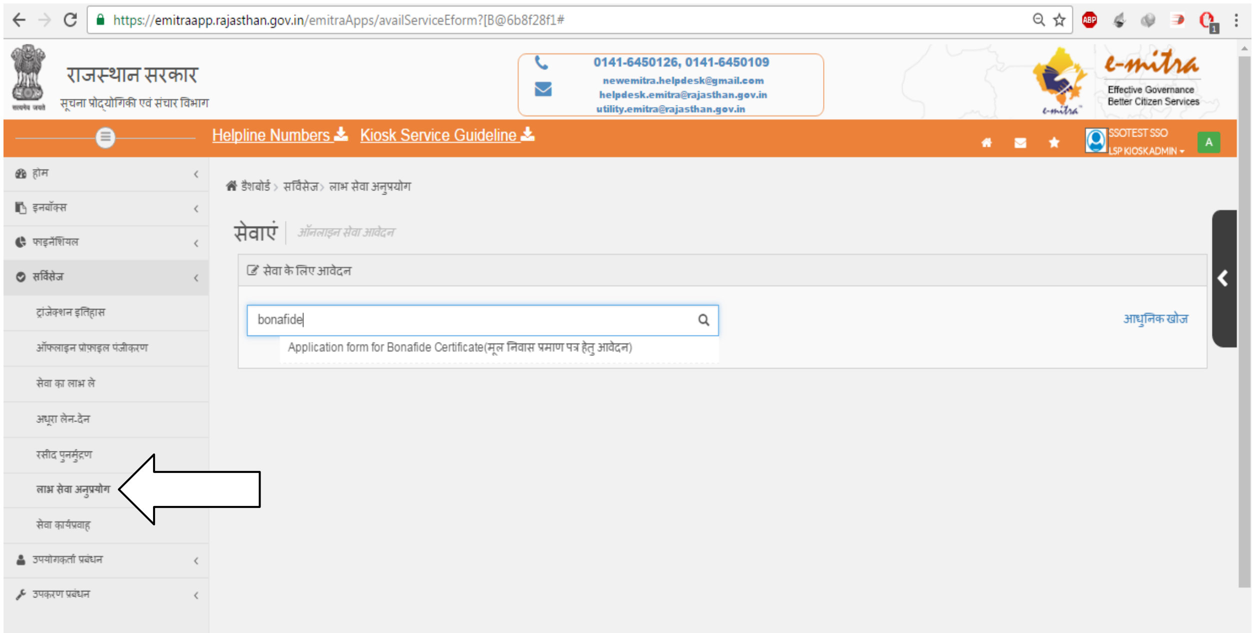

4. सर्च बॉक्स में bonafide लिख कर सर्विस पर क्लिक करें|

5. ***आवेदक*** **का भामाशाह आईडी, आधार आईडी या इमित्र पंजीकरण संख्या दर्ज कर “विस्तार” बटन पर क्लिक करें, जिससे प्रोफाइल पेज खुल जायेगा जिसमे अपनी जानकारी दर्ज कर “सेव” बटन पर क्लिक करे तथा “अगला” बटन पर क्लिक करें|**

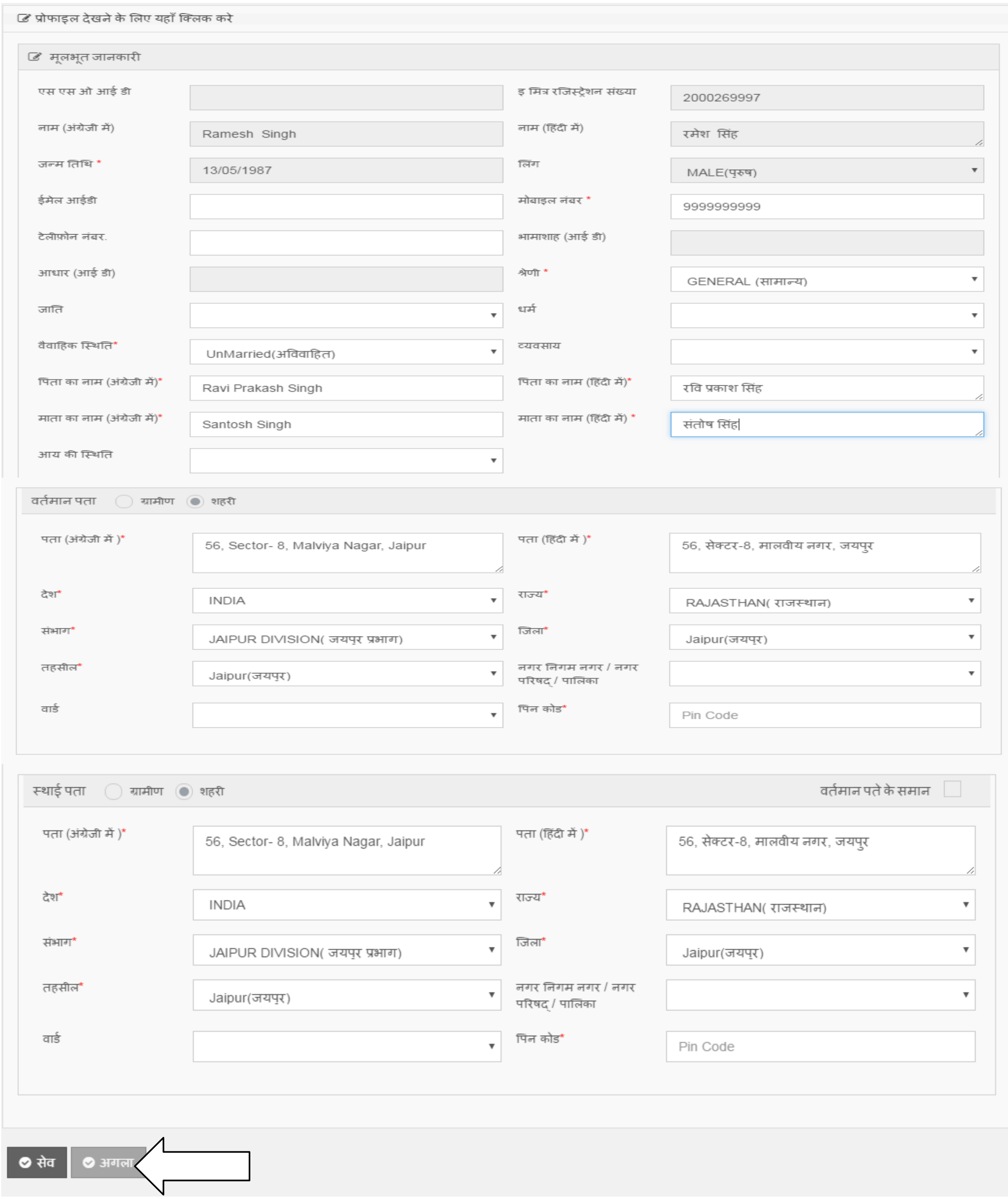

6. **जिसके पश्चात निम्न दिखाए अनुसार मूल निवास के लिए आवेदन पत्र दिखाई देगा जिसमे की आवेदक से सम्बंधित सम्पूर्ण विवरण भरें तथा दस्तावेज संलग्न करें|**

ई फार्म

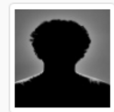

Choose File Untitled.jpg

Upload

मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

व्यक्तिगत विवरण

प्रार्थी का नाम *	रमेश सिंह	संबंध प्रकार*	पिता
पिता/पति का नाम*	रवि प्रकाश सिंह	पिता/पति का मूल स्थान*	जयपुर
पिता/पति का व्यवसाय		पिता/पति के व्यवसाय का पता	
जन्म स्थान *	जयपुर	जन्म तिथि*	13/05/1987
ईमेल*	test@testmail.com	मोबाइल नंबर*	9999999999
भामाशाह आईडी		आधार आईडी	
स्कूल / कॉलेज का नाम			

स्थाई पता

पता अंग्रेजी में	56, Sector- 8, Malviya Nagar, Jaipur	पता हिन्दी में	56, सेक्टर-8, मालवीय नगर, जयपुर
देश	INDIA	राज्य	RAJASTHAN(राजस्थान)
डिवीजन	JAIPUR DIVISION(जयपुर प्रभाग)	जिला	Jaipur(जयपुर)
तहसील	Jaipur(जयपुर)	नगर पालिका	
वार्ड		पिन कोड	302021

आपने किस कक्षा तक और कहां तक शिक्षा प्राप्त की

	शिक्षण संस्थान का नाम	स्थान
कक्षा 1 से 9	माध्यमिक विद्यालय	जयपुर
10 वी	माध्यमिक विद्यालय	जयपुर
12 वी	उच्च माध्यमिक विद्यालय	जयपुर
स्नातक	राजस्थान युनिवर्सिटी	जयपुर
स्नातकोत्तर		
अन्य		

अन्य विवरण

स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मय स्थान*

56, सेक्टर-8, मालवीय नगर,जयपुर

क्या मतदाता सूची में स्वयं का/पिता/पति का नाम है ?*

हां

आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है ?*

12

महिला के लिए

क्या आप विवाहित हैं ?*

चयन करें

आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ ?*

चयन करें

पति का नाम

क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी हैं ?*

चयन करें

आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही हैं ?*

चयन करें

स्थान का नाम

संबधित दस्तावेज सलंग्न विवरण

1 राजस्थान मे पैदा हुआ है और उसके माता-पिता इस राज्य के मूल निवासी हो

- माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या
- लगातार 10 वर्षो के बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल(प्रत्येक वर्ष का एक-एक) व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या
- 10 वर्षो के लगातार षिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र

2 उसका या उसके माता-पिता का राजस्थान मे10 वर्ष या अधिक वर्षो से मकान हो और यदि उनका मकान कही अन्यत्र हो तो वे राजस्थान हो यह राज्य के रूप मे अंगीकृत करते हो |

3 यह या उसके माता-पिता 10 वर्षो या अधिक से किराये के मकान में रह रहा हो/रहे हो और उसे सिद्व करने हेतु किरायानामा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4 उन महिलाओ की दषा में जो राजस्थान की मूल निवासी नही है और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती है जो राजस्थान का मूल निवासी है और जो अपने पति के साथ राजस्थान मे रहती है। सामान्यतया राजस्थान का मूल निवासी मान ली जायेगी चाहे उसके राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्त पूरी न की हो।

5 राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम में तीन वर्ष से स्वंय या उसके माता-पिता कार्यरत हो। (उक्त साक्ष्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र(टीएसपी) के लिए लागु नही होगा।

☑ मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। (मुझे इस तथ्य की पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

संलग्नक की सूची

क्र.सं.	संलग्नक श्रेणी	संलग्नक प्रकार	संलग्नक का विवरण	संलग्न दस्तावेज	कार्य
1	ADDRESS PROOF FOR TEN YEARS	VOTER ID		Choose File N..	+
2	OTHER DOCUMENT ATTACHMENT	-- Select --			+
3	APPLICATION FORM	Scan Copy of application form		Choose File T..	+

संलग्नक सूची

क्र.सं.	संलग्नक श्रेणी	संलग्नक प्रकार	संलग्नक का विवरण	संलग्न दस्तावेज	कार्य
1	ADDRESS PROOF FOR TEN YEARS	VOTER ID	VOTER ID NUMBER BLS/0025552	2000269997\Test pdf.pdf	⊟
2	APPLICATION FORM	Scan Copy of application form	APPLICATION NAME रमेश सिंह	2000269997\Test pdf.pdf	⊟

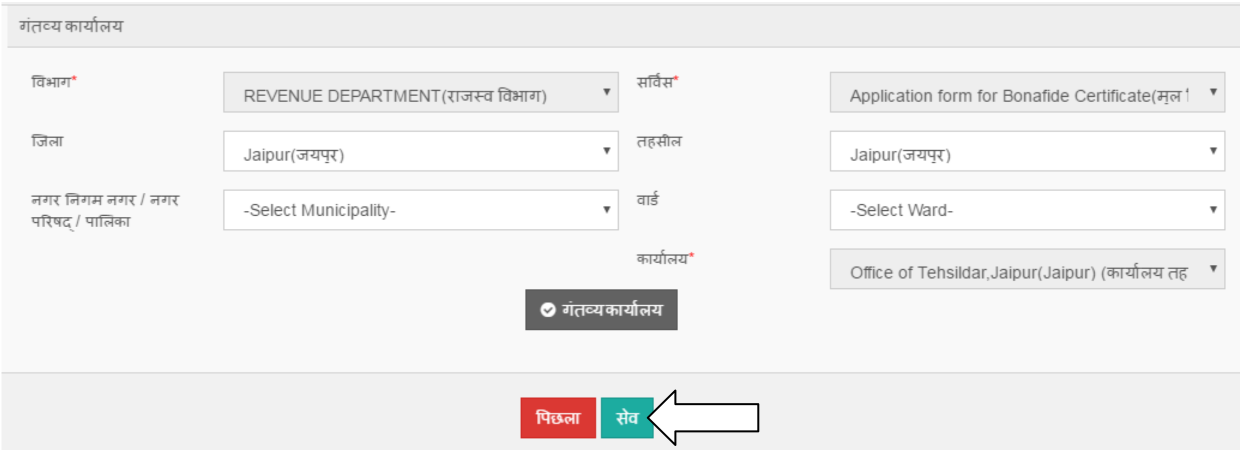

7. आवेदन पत्र भर जाने के पश्चात पूरी तरह से जांच लेवें तथा सेव बटन पर क्लिक करें तथा भुगतान प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन पूर्ण करें|

8. अप्प्रूव किये गए मूल निवास को प्रिंट करने के लिए Avail Service आप्शन का चयन कर Revenue Department के अंतर्गत Print Bonafide Certificate के सेवा का चयन कर अप्प्रूव किये गए मूल निवास का Transaction Number दर्ज करे तथा भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रिंट निकालें|

मूल निवास के लिए आवेदन के लिए निर्देशिका(डीलिंग स्तर)

1. डीलिंग अधिकारी अपने sso id से sso.rajasthan.gov.in पर लॉग इन करे| जिसके पश्चात Service आप्शन में जा कर Service Workflow पर क्लिक कर अपने खाते में लंबित आवेदन देखें|

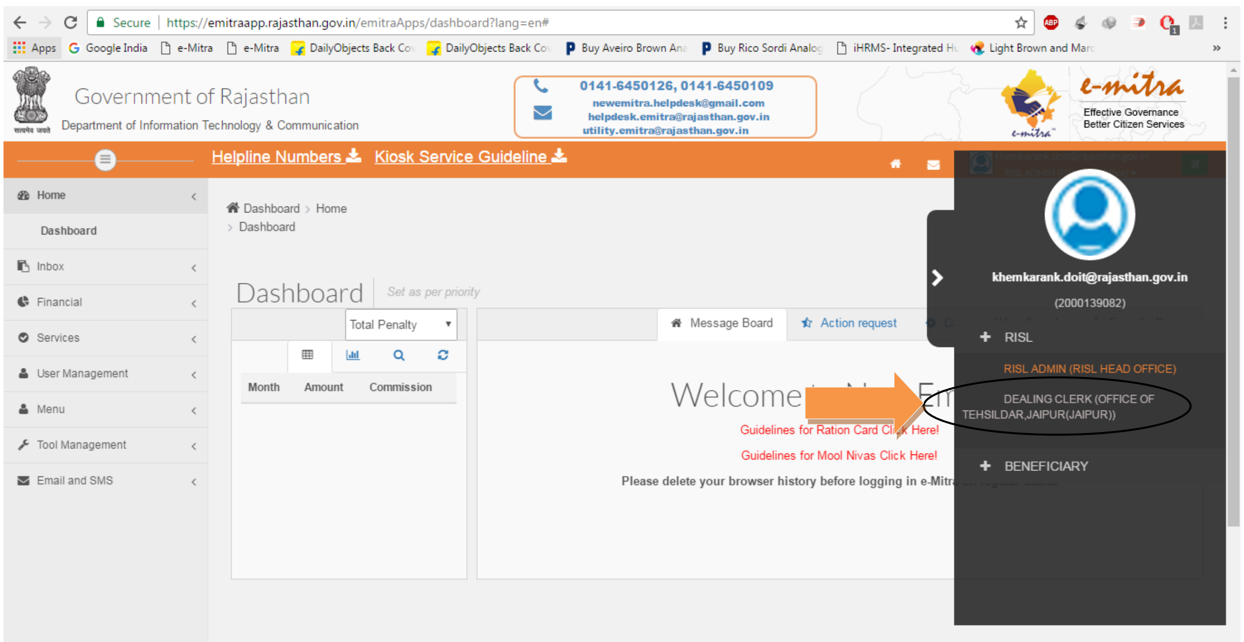

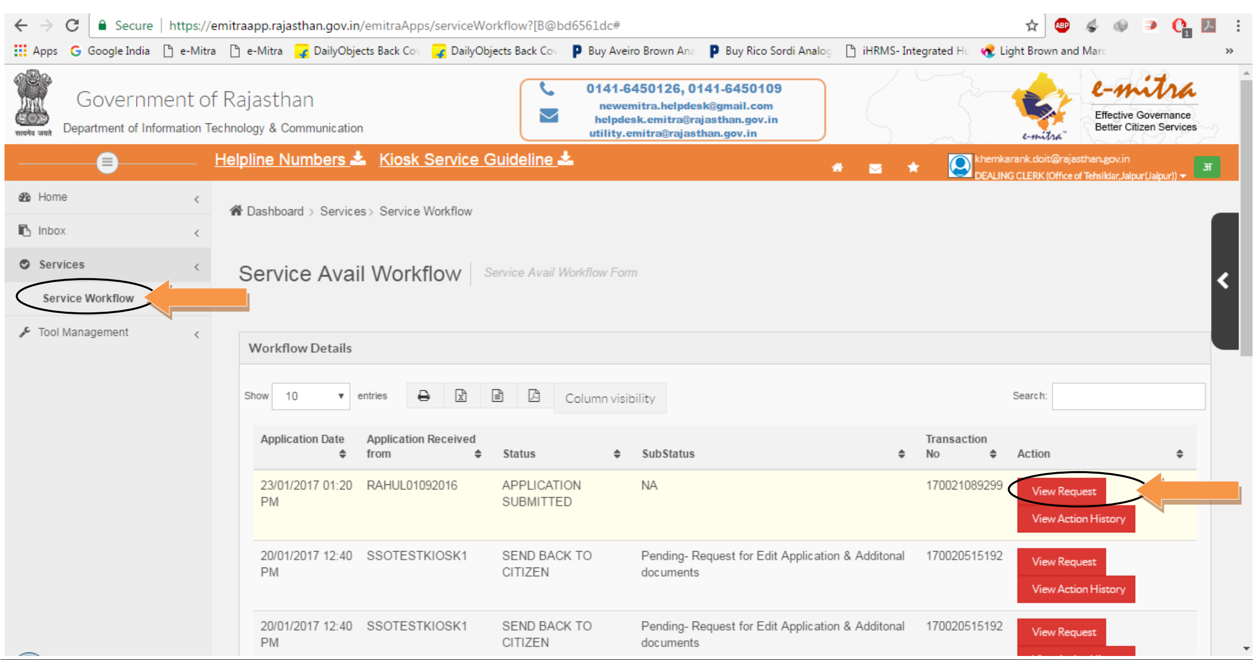

2. **अपने खाते में किसी भी लंबित आवेदन को देखने तथा आवेदन पर प्रक्रिया करने के लिए आवेदन के दाहिनी तरफ दिखाए गए बटन View Request पर क्लिक करें| जिससे की आपको सम्बंधित आवेदन पत्र निम्न अनुसार प्रदर्शितहोगा|**

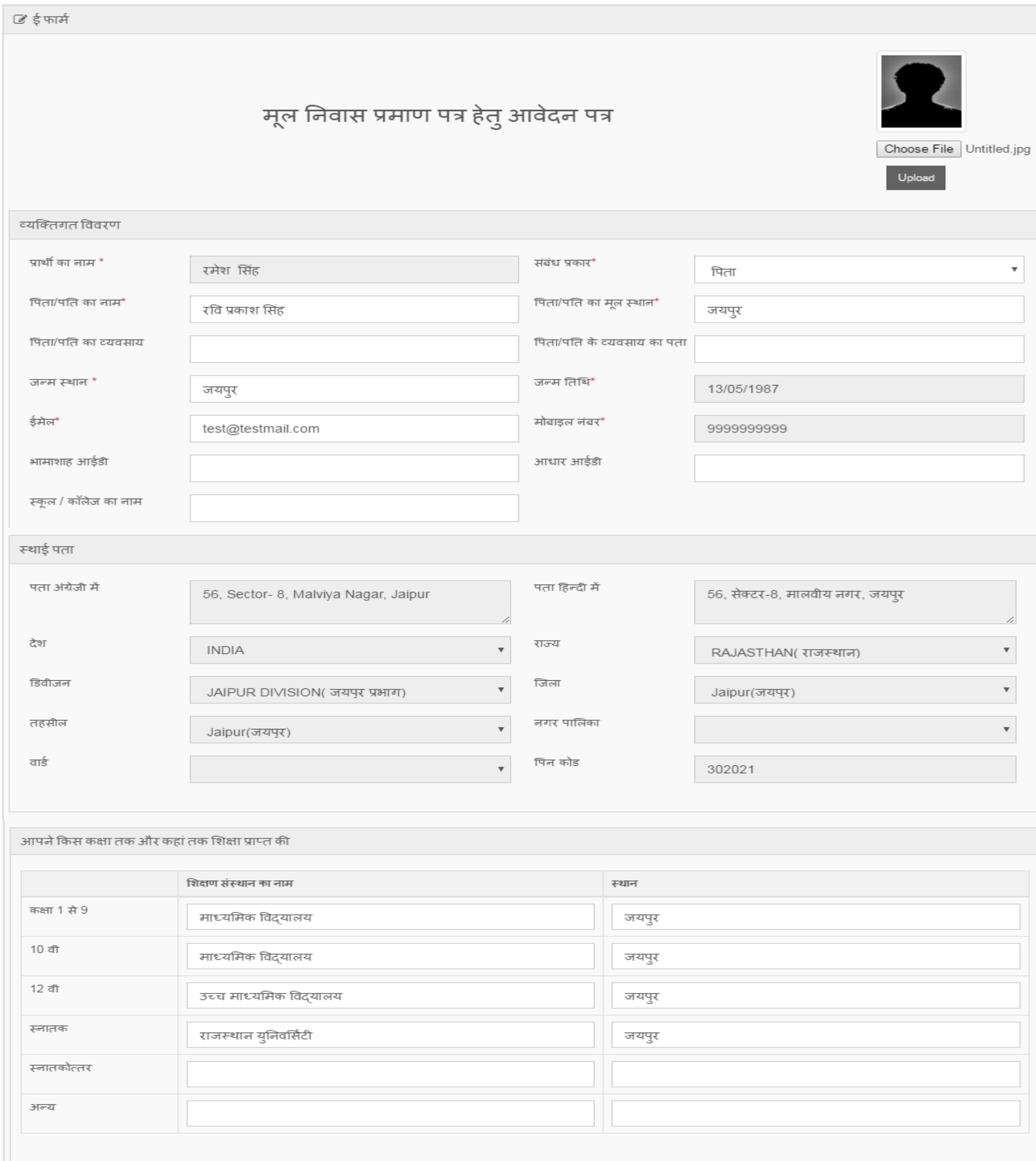

ई फार्म

मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

Choose File Untitled.jpg

Upload

व्यक्तिगत विवरण

प्रार्थी का नाम *	रमेश सिंह	संबंध प्रकार*	पिता
पिता/पति का नाम*	रवि प्रकाश सिंह	पिता/पति का मूल स्थान*	जयपुर
पिता/पति का व्यवसाय		पिता/पति के व्यवसाय का पता	
जन्म स्थान *	जयपुर	जन्म तिथि*	13/05/1987
ईमेल*	test@testmail.com	मोबाइल नंबर*	9999999999
भामाशाह आईडी		आधार आईडी	
स्कूल / कॉलेज का नाम			

स्थाई पता

पता अंग्रेजी में	56, Sector- 8, Malviya Nagar, Jaipur	पता हिन्दी में	56, सेक्टर-8, मालवीय नगर, जयपुर
देश	INDIA	राज्य	RAJASTHAN(राजस्थान)
डिवीजन	JAIPUR DIVISION(जयपुर प्रभाग)	जिला	Jaipur(जयपुर)
तहसील	Jaipur(जयपुर)	नगर पालिका	
वार्ड		पिन कोड	302021

आपने किस कक्षा तक और कहां तक शिक्षा प्राप्त की

	शिक्षण संस्थान का नाम	स्थान
कक्षा 1 से 9	माध्यमिक विद्यालय	जयपुर
10 वी	माध्यमिक विद्यालय	जयपुर
12 वी	उच्च माध्यमिक विद्यालय	जयपुर
स्नातक	राजस्थान युनिवर्सिटी	जयपुर
स्नातकोत्तर		
अन्य		

अन्य विवरण

स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मय स्थान*: 56, सेक्टर-8, मालवीय नगर,जयपुर

क्या मतदाता सूची में स्वयं का/पिता/पति का नाम है ?*: हां

आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है ?*: 12

महिला के लिए

क्या आप विवाहित हैं ?*: चयन करें

आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ ?*: चयन करें | पति का नाम

क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी हैं ?*: चयन करें

आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही हैं ?*: चयन करें | स्थान का नाम

संबधित दस्तावेज सलंग्न विवरण

1 राजस्थान मे पैदा हुआ है और उसके माता-पिता इस राज्य के मूल निवासी हो

- माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या
- लगातार 10 वर्षो के बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल(प्रत्येक वर्ष का एक-एक) व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या
- 10 वर्षो के लगातार षिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र

2 उसका या उसके माता-पिता का राजस्थान मे10 वर्ष या अधिक वर्षो से मकान हो और यदि उनका मकान कही अन्यत्र हो तो वे राजस्थान हो यह राज्य के रूप मे अंगीकृत करते हो |

3 यह या उसके माता-पिता 10 वर्षो या अधिक से किराये के मकान में रह रहा हो/रहे हो और उसे सिद्व करने हेतु किरायानामा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4 उन महिलाओ की दषा में जो राजस्थान की मूल निवासी नही है और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती है जो राजस्थान का मूल निवासी है और जो अपने पति के साथ राजस्थान मे रहती है। सामान्यतया राजस्थान का मूल निवासी मान ली जायेगी चाहे उसके राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्त पूरी न की हो।

5 राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम में तीन वर्ष से स्वंय या उसके माता-पिता कार्यरत हो। (उक्त साक्ष्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र(टीएसपी) के लिए लागु नही होगा।

☑ मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। (मुझे इस तथ्य की पूर्ण जान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

Attached Enclosure

Document Name	Document Path	Document Status	Document Type
fa.pdf	fa.pdf	Submitted	APPLICATION FORM
doc 1.pdf	doc 1.pdf	Submitted	ADDRESS PROOF FOR TEN YEARS
DOC 2.pdf	DOC 2.pdf	Submitted	OTHER DOCUMENT ATTACHMENT

Attached Sanction Documents

Document Name	Document Path	Action

Emitra

Action*: ---Select Action---

Remark*: Remark

File: Choose File No file chosen

Submit Action | Cancel

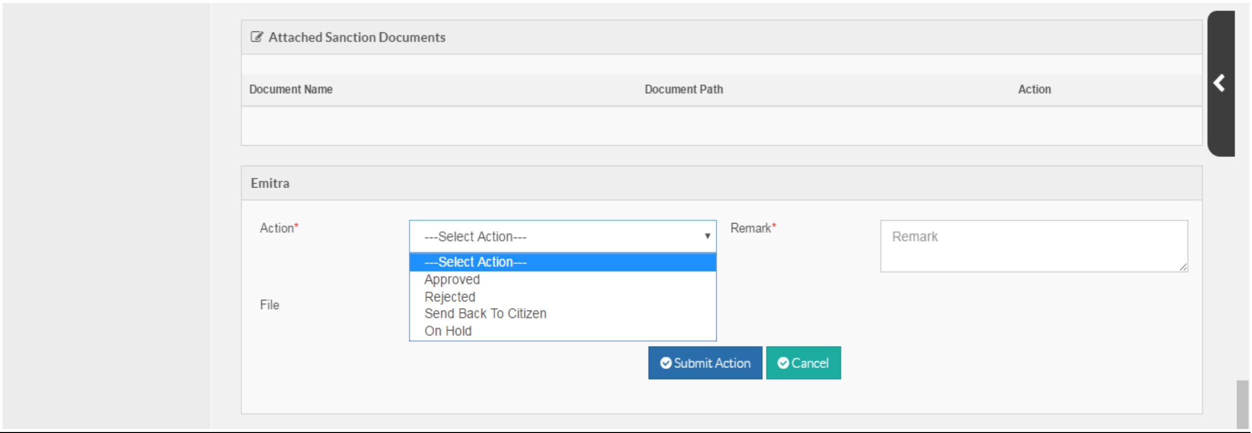

3. आवेदन के अंत में आपको Action मेनू में चार प्रकार के आप्शन दिखाई देंगें| आवेदन पत्र को पूर्णतया जांच लेवें तथा उपयुक्त एक्शन का चयन कर तथा Remarks दर्ज कर Submit Action पर क्लिक कर प्रक्रिया पूर्ण करें|

मूल निवास के लिए आवेदन के लिए निर्देशिका(जारीकर्ता अधिकारी)

1. जारीकर्ता अधिकारी अपने sso id से sso.rajasthan.gov.in पर लॉग इन करे| जिसके पश्चात Service आप्शन में जा कर Service Workflow पर क्लिक कर अपने खाते में लंबित आवेदन देखें|

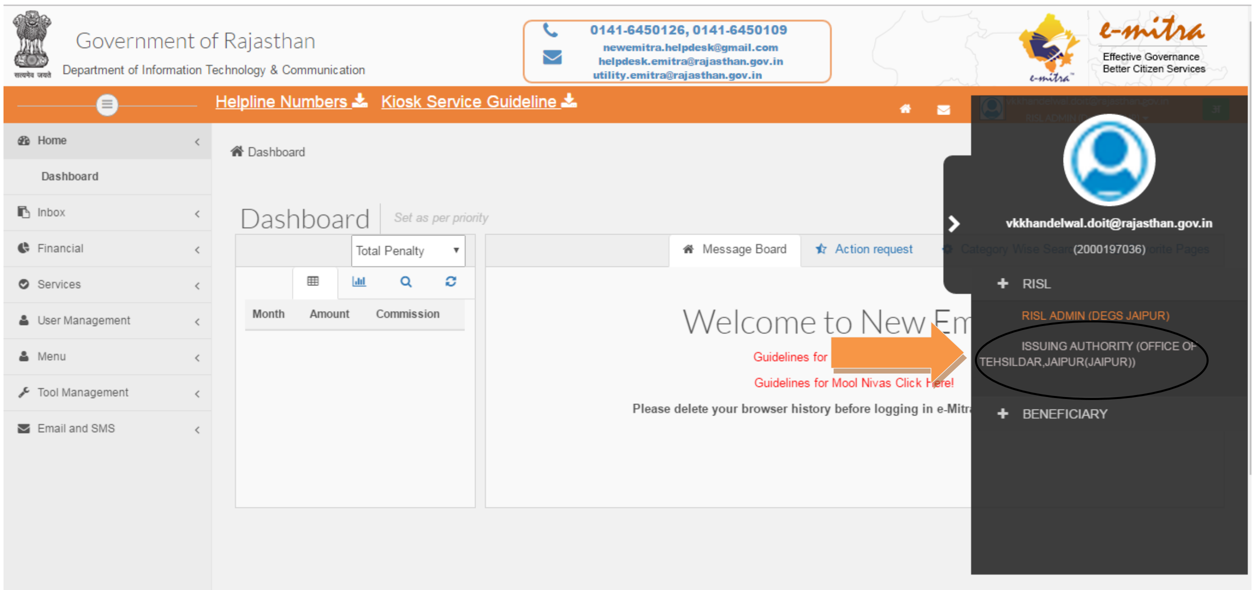

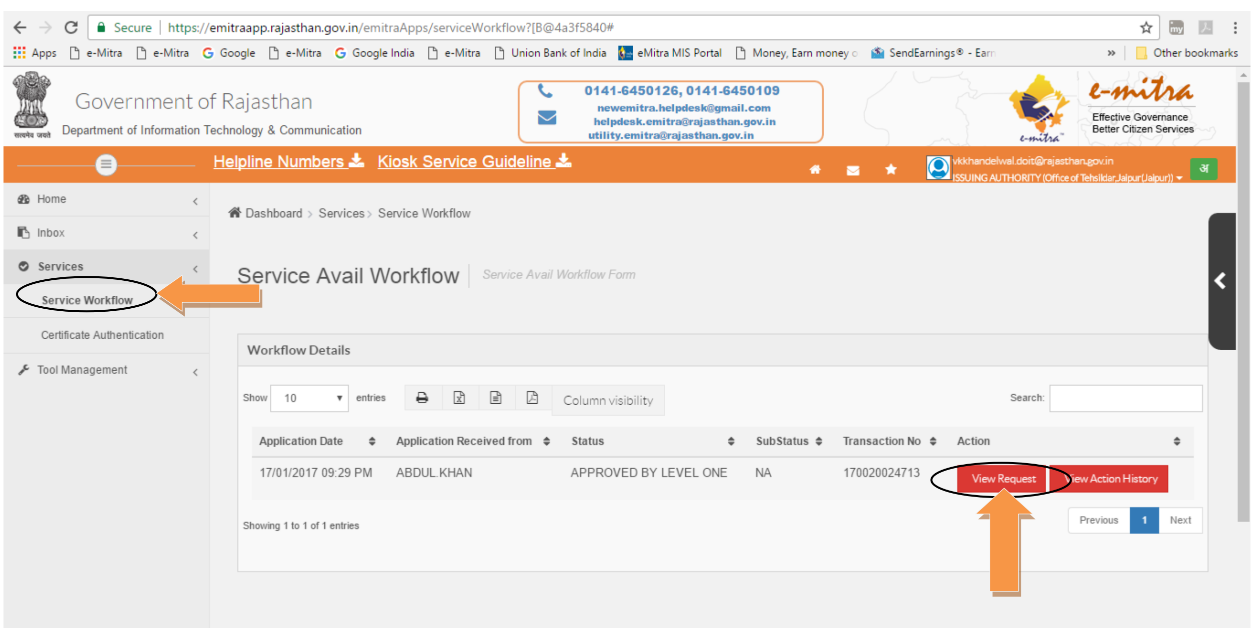

2. **अपने खाते में किसी भी लंबित आवेदन को देखने तथा आवेदन पर प्रक्रिया करने के लिए आवेदन के दाहिनी तरफ दिखाए गए बटन View Request पर क्लिक करें| जिससे की आपको सम्बंधित आवेदन पत्र निम्न अनुसार प्रदर्शित होगा|**

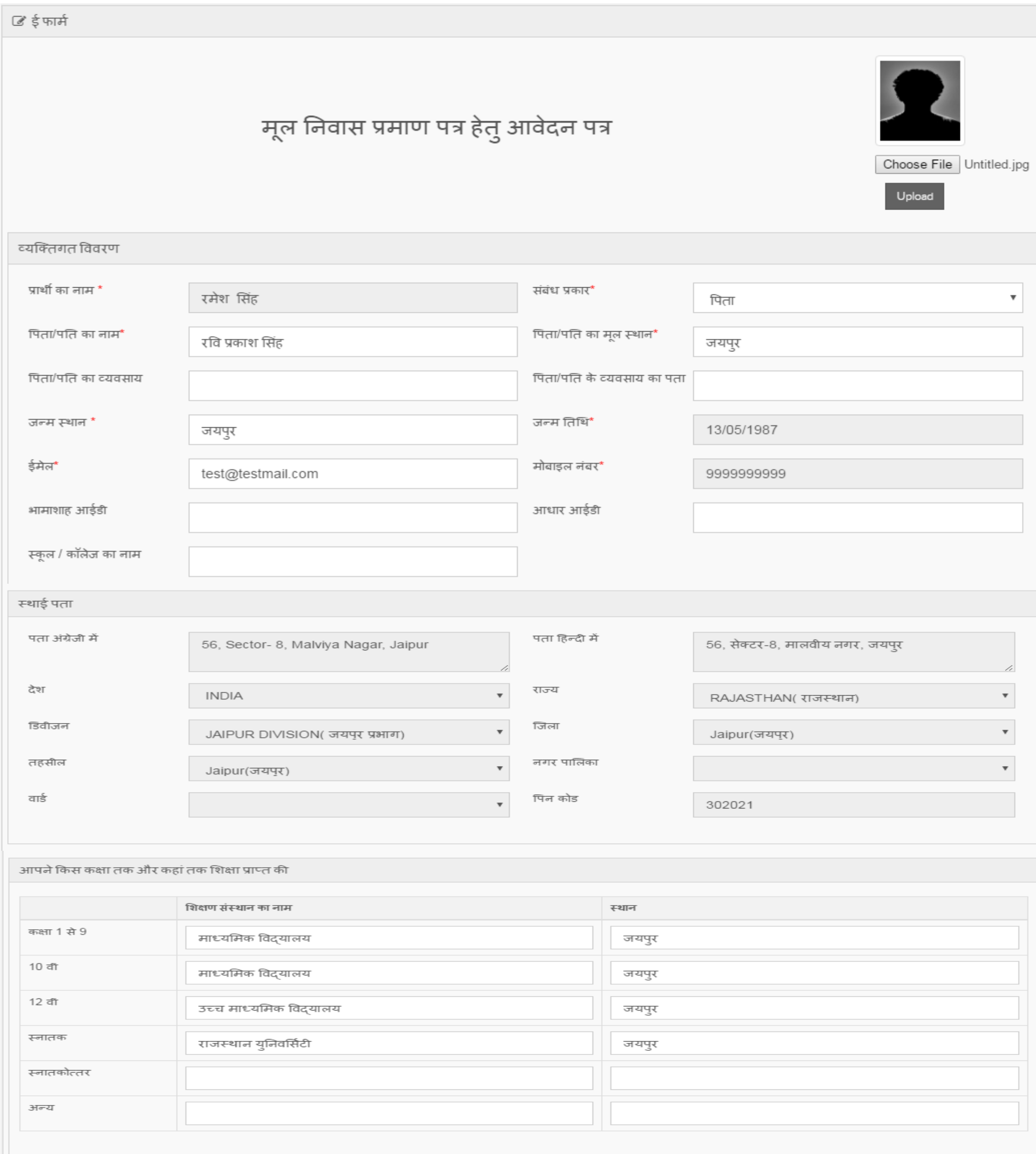

ई फार्म

मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

Choose File Untitled.jpg

Upload

व्यक्तिगत विवरण

प्रार्थी का नाम *	रमेश सिंह	संबंध प्रकार*	पिता
पिता/पति का नाम*	रवि प्रकाश सिंह	पिता/पति का मूल स्थान*	जयपुर
पिता/पति का व्यवसाय		पिता/पति के व्यवसाय का पता	
जन्म स्थान *	जयपुर	जन्म तिथि*	13/05/1987
ईमेल*	test@testmail.com	मोबाइल नंबर*	9999999999
भामाशाह आईडी		आधार आईडी	
स्कूल / कॉलेज का नाम			

स्थाई पता

पता अंग्रेजी में	56, Sector- 8, Malviya Nagar, Jaipur	पता हिन्दी में	56, सेक्टर-8, मालवीय नगर, जयपुर
देश	INDIA	राज्य	RAJASTHAN(राजस्थान)
डिवीजन	JAIPUR DIVISION(जयपुर प्रभाग)	जिला	Jaipur(जयपुर)
तहसील	Jaipur(जयपुर)	नगर पालिका	
वार्ड		पिन कोड	302021

आपने किस कक्षा तक और कहां तक शिक्षा प्राप्त की

	शिक्षण संस्थान का नाम	स्थान
कक्षा 1 से 9	माध्यमिक विद्यालय	जयपुर
10 वीं	माध्यमिक विद्यालय	जयपुर
12 वीं	उच्च माध्यमिक विद्यालय	जयपुर
स्नातक	राजस्थान युनिवर्सिटी	जयपुर
स्नातकोत्तर		
अन्य		

अन्य विवरण

स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मय स्थान*: 56, सेक्टर-8, मालवीय नगर,जयपुर

क्या मतदाता सूची में स्वयं का/पिता/पति का नाम है ?*: हां

आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षो से रह रहा है ?*: 12

महिला के लिए

क्या आप विवाहित हैं ?*: चयन करें

आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ ?*: चयन करें | पति का नाम

क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी हैं ?*: चयन करें

आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही हैं ?*: चयन करें | स्थान का नाम

संबधित दस्तावेज सलंग्न विवरण

1 राजस्थान मे पैदा हुआ है और उसके माता-पिता इस राज्य के मूल निवासी हो

- माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/ पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या
- लगातार 10 वर्षो के बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल(प्रत्येक वर्ष का एक-एक) व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या
- 10 वर्षो के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र /पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र

2 उसका या उसके माता-पिता का राजस्थान मे10 वर्ष या अधिक वर्षो से मकान हो और यदि उनका मकान कही अन्यत्र हो तो वे राजस्थान हो यह राज्य के रूप मे अंगीकृत करते हो |

3 यह या उसके माता-पिता 10 वर्षो या अधिक से किराये के मकान में रह रहा हो/रहे हो और उसे सिद्व करने हेतु किरायानामा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4 उन महिलाओ की दषा में जो राजस्थान की मूल निवासी नही है और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती है जो राजस्थान का मूल निवासी है और जो अपने पति के साथ राजस्थान मे रहती है। सामान्यतया राजस्थान का मूल निवासी मान ली जायेगी चाहे उसके राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्त पूरी न की हो।

5 राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम में तीन वर्ष से स्वंय या उसके माता-पिता कार्यरत हो। (उक्त साक्ष्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र(टीएसपी) के लिए लागु नही होगा।

☑ मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। (मुझे इस तथ्य की पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के करावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

Attached Enclosure

Document Name	Document Path	Document Status	Document Type
fa.pdf	fa.pdf	Submitted	APPLICATION FORM
doc 1.pdf	doc 1.pdf	Submitted	ADDRESS PROOF FOR TEN YEARS
DOC 2.pdf	DOC 2.pdf	Submitted	OTHER DOCUMENT ATTACHMENT

Attached Sanction Documents

Document Name	Document Path	Action

Emitra

Action*: ---Select Action---

Remark*: Remark

File: Choose File No file chosen

Submit Action | Cancel

3. आवेदन के अंत में आपको Action मेनू में चार प्रकार के आप्शन दिखाई देंगें| आवेदन पत्र को पूर्णतया जांच लेवें तथा उपयुक्त एक्शन का चयन कर तथा Remarks दर्ज कर Submit Action पर क्लिक कर प्रक्रिया पूर्ण करें|

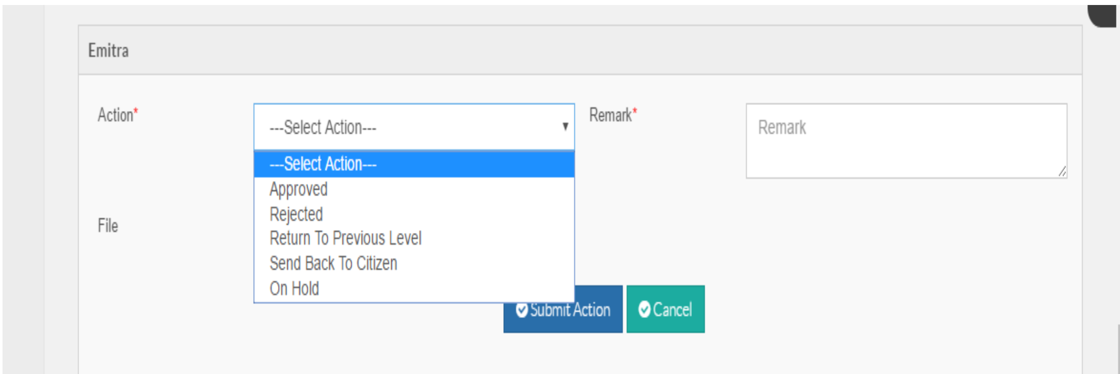

4. अप्प्रूव किये गए आवेदन के प्रमाण पत्र को देखने के लिए निम्न स्क्रीन में दिखाए अनुसार PreView Certificate पर क्लिक करे|

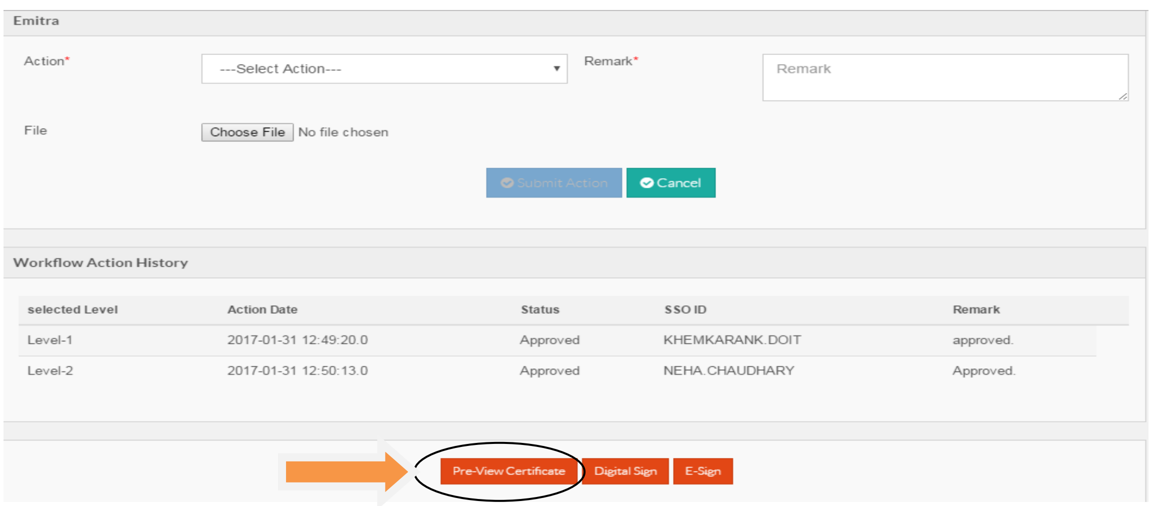

5. PreView Certificate पर क्लिक करने के पश्चात प्रमाण पत्र दिखा देगा|

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार, जयपुर

ज़िला जयपुर

- : मूल निवास प्रमाण-पत्र : -

क्रमांक: RJ12/2017/राजस्थान प्रमाणिक वास्तविक सेवाएं/मूल निवास प्रमाण-पत्र/17022142257

दिनांक:31-01-2017

प्रमाणित किया जाता है की श्री अंकित वर्मा पुत्र श्री रवि वर्मा निवास 69, बरकत नगर, जयपुर , राजस्थान का मूल निवासी है | आज दिनांक 31-01-2017 को यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से प्रचलित किया गया |

नोट:

1 : राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप -9) विभाग की अधिसूचना संख्या प-15(1)32/गृह-9/61/ पार्ट-2 दिनांक 17.12.2009 के द्वारा मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है |

2: राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप -9) विभाग की आज्ञा संख्या प-15(1)32/गृह-9/61/ पार्ट दिनांक 28 अगस्त 2012 के द्वारा मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने की मान्यता प्रदान की गयी है | उक्त परिपत्र के तहत जिला कलेक्टर , उपखंड अधिकारी, सहायक जिलाधीश व तहसीलदार मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया हुआ है |

3: उक्त मूल निवास प्रमाण-पत्र शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षा संस्थाओ में प्रवेश, योग्यता छात्रवृति के लिए आवदेन करने केंद्र/राज्य सेवाओ मे नियोजन प्रयोजनो एवं भूमि आदि के आवंटन इत्यादि के प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लाया जा सकता है |

4: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेज जिले के संबंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय मे निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे |

5: मूल निवास एक बार ही बनाया जायेगा लेकिन प्रमाण-पत्र गुम हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर दोहरी प्रति, प्रमाण-पत्र मे नाम या पता बदलने पर संशोधित प्रति तथा आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए नए फोटो के साथ नवीनीकृत प्रति (उक्त नवीनीकृत प्रमाण-पत्र दस वर्ष के उपरान्त ही किया जा सकेगा) बनवाया जा सकता है |

6: सभी प्रयोजनार्थ प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियाँ काम में ली जा सकती है |

7: प्रार्थी को जारी किये गये मूल निवास प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित on-line verfication section से online सत्यापित किया जा सकता है| टोकन संख्या : 170022941259

तहसीलदार, जयपुर

Print

6. Approve किये गए आवेदन को esign करने के लिए home स्क्रीन के service मेनू में से certificate authentication आप्शन का चयन करें|

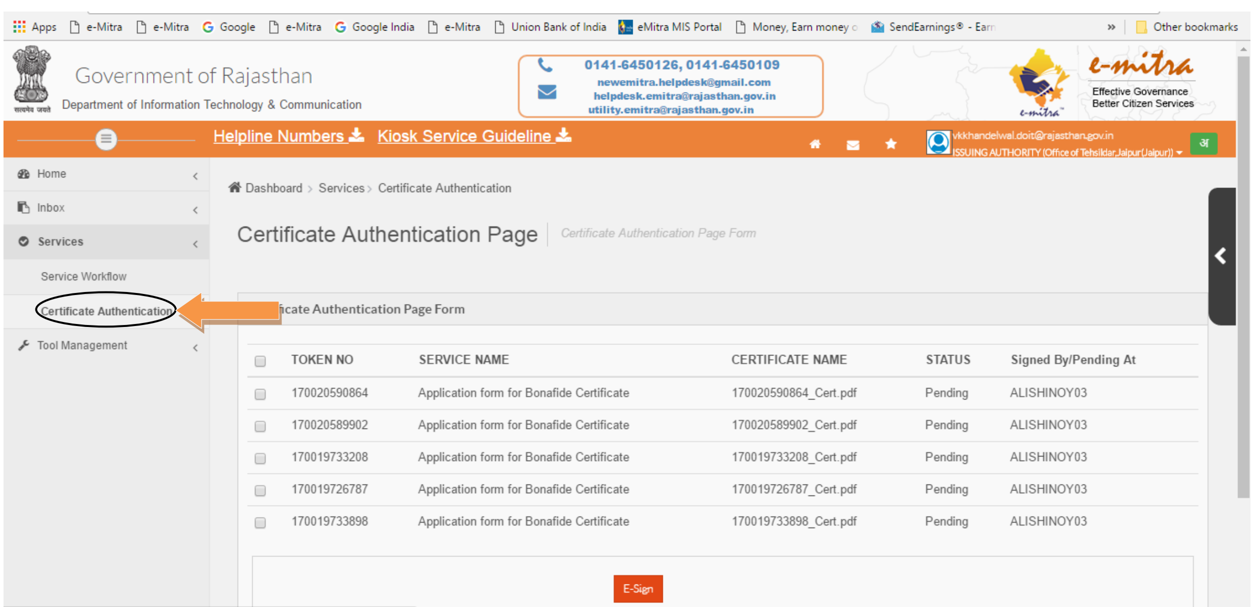

7. आवेदन/आवेदनों को esign करने के लिए सेलेक्ट कर E-Sign बटन पर क्लिक करें|

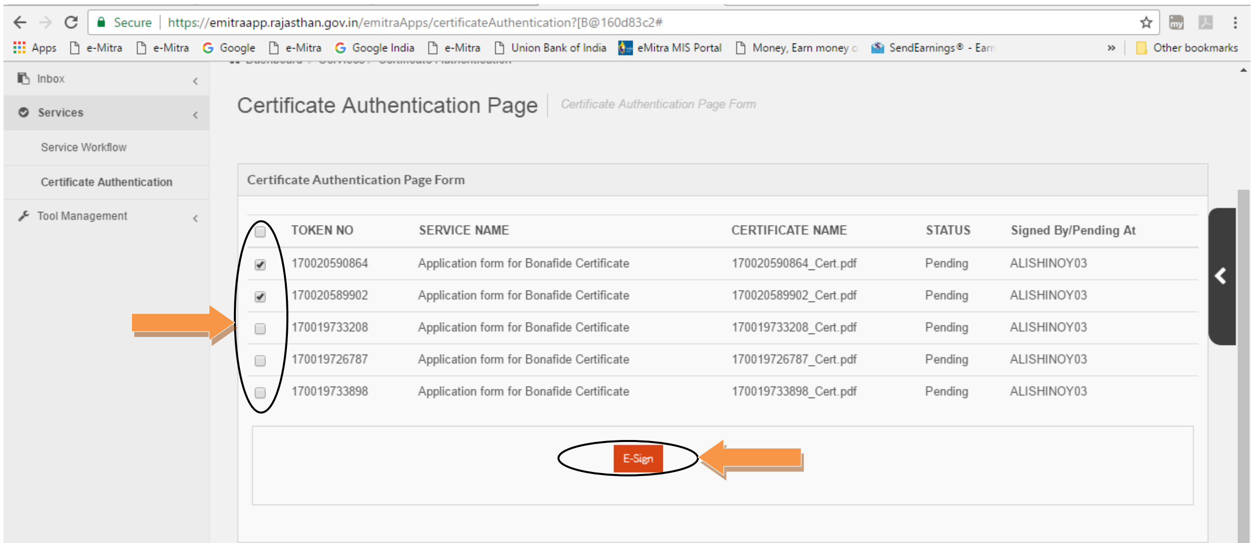

8. OTP दर्ज कर OK बटन पर क्लिक कर प्रक्रिया पूर्ण करें|